



Neutral Citation No.-2026:AHC:9364

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-787 वर्ष 2026

गोपाल सिंह आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: देवेश कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. श्री डॉ. सी.पी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेश कुमार सिंह, आवेदक के अधिवक्ता के साथ-साथ श्री वी.के.एस. परमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2025 के मामले अपराध संख्या-53 में धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3), 352, 61(2), 351(3), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बी.एन.एस. और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना-धनपुर, जिला: चंदौली के तहत दायर किया गया है।

अभियोजन की कहानी:

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने अन्य नामित अभियुक्त व्यक्तियों के साथ 1.5.2025 को दोपहर लगभग 03:30 बजे सूचनाकर्ता के भाई को गोली मार दी और घायल कर दिया।

आवेदक की ओर से तर्क:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग नौ घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
6. अभियोजन पक्ष की कहानी इस तथ्य से झूठी साबित होती है कि दो हमलावरों प्रदुम्न सिंह और संदीप कुमार सिंह का मजबूत बहाना है, जो आवेदक के सगे भाई भी हैं।
7. उक्त दो आरोपी व्यक्ति घटना की तारीख से पहले आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत जेल में थे और घटना के बाद जेल से रिहा हो गए थे, इस तरह, अभियोजन की पूरी कहानी जमीन पर गिर जाती है।
8. सूचनाकर्ता चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि पहले उसने प्राथमिकी में कहा है कि उसने घटना को देखा था, लेकिन बाद में धारा 180 बी.एन.एस.एस के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में उसने कहा है कि वह घटनास्थल से लगभग 50 गज की दूरी पर था और गोली की आवाज सुनने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों को मृत व्यक्ति पर गोली चलाते हुए देखा था।
9. आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह अपने भाई की हत्या के मामले में घायल/चश्मदीद गवाह है और इस संबंध में प्राथमिकी/केस अपराध संख्या-24 वर्ष 2019, भ०द०वि० की धारा 302 के तहत थाना-धनपुर, जिला: चंदौली में दर्ज किया गया था, जिसमें सूचनाकर्ता, मृत व्यक्ति और अन्य चश्मदीद गवाह आरोपी थे। इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है।
10. आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। जहां तक केस अपराध संख्या-71 वर्ष 2025, आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत थाना-खेरागढ़, जिला: आगरा का संबंध है, यह आवेदक को आगरा से उसकी गिरफ्तारी के समय थोपा गया था, जहां आवेदक कार्यरत था और उसने अभी तक इसमें जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है।
11. जहां तक 2016 के केस अपराध संख्या-364, भ०द०वि० की धारा 323, 504, 506 भ०द०वि० के तहत, थाना-सकलदेह, जिला: चंदौली का संबंध है, आवेदक इसमें जमानत पर है, लेकिन वह जमानत आदेश प्राप्त नहीं कर सका।



12. आवेदक 20.5.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिपक्षी की ओर से तर्क:

13. जमानत आवेदन का इस आधार पर जोरदार विरोध किया गया है कि सूचनाकर्ता और एक बाबू लाल मौर्य के भी स्पष्ट सबूत हैं, जिन्होंने आवेदक को हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना था।

14. आवेदक ने उसे सौंपे गए आपराधिक इतिहास यानी 2016 की केस अपराध संख्या-364, धारा 323, 504, 506 भ०द०वि०, थाना-सकलदेहा, जिला: चंदौली के तहत ठीक से नहीं समझाया है।

निष्कर्ष:

15. सर्वोच्च न्यायालय अपील की विशेष अनुमति (क्रिम) संख्या (सिविल) संख्या 1400/2025 मुन्नेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि नियमित जमानत या अग्रिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना चाहिए। आपराधिक इतिहास का खुलासा न करने को जमानत खारिज करने का आधार माना जा सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया:

"तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि अब से प्रत्येक व्यक्ति जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438/439 के तहत या धारा 482/483 के तहत प्रार्थना को अस्वीकार करने वाले उच्च न्यायालयों/सत्र न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, वह अनिवार्य रूप से 'सारांश' में खुलासा करेगा कि या तो वह स्वच्छ पृष्ठभूमि का व्यक्ति है या यदि उसे किसी आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में जानकारी है, वह स्पष्ट रूप से उसी को उस चरण के साथ इंगित करेगा जिस पर इस तरह के मामले से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पहुंच गई है। यदि बाद में खुलासा गलत पाया जाता है, तो इसे विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का आधार माना जा सकता है।



16. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को आरोपी व्यक्ति नामित किया गया है, इस तथ्य के साथ कि कम से कम एक मामले के आपराधिक इतिहास यानी 2016 के केस अपराध संख्या-364 को ठीक से समझाया नहीं गया है और मुन्नेश (उपरोक्त) में पारित उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

17. जमानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

18. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 14, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)